न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 108/2018 **दायरा दिनांक : 06.07.2018**

उनवान

रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ, जाति कुल्मी, निवासी लाल्याखेड़ी, तहसील झालरापटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्यामलाल पुत्र नाथूलाल, जाति चमार, निवासी लाल्याखेड़ी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– गोपाललाल पुत्र नाथूलाल, जाति चमार, निवासी लाल्याखेड़ी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेश पाटीदार अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

निर्णय **दिनांक : 29.09.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र/202/2014 निर्णय दिनांक 18.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लाल्याखेडी पटवार हल्का रीझोन भू अभिलेख निरीक्षक रीछवा, तहसील झालरापाटन में संवत 2069–72 में खाता संख्या 58 नया 47 पुराना की आराजी स्थित है। प्रार्थी की कुल किता 24 कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा आराजी में से खसरा नम्बर 43 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

3 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा निर्णय दिनांक 18.05.2018 के अनुसार तहसीलदार झालरापाटन की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत आराजी में वैकल्पिक रास्ते का अभाव नहीं है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 43 से पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 471/57 रकबा 3 बीघा प्रार्थी के स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज है और इसी से लगा हुआ कुआ खसरा नम्बर 58 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता रेकार्ड दर्ज है। जो मौके पर पर्याप्त, लम्बा एवं चौड़ा है एवं सुचारू रूप से चालू है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के यहां धारा 251 ए के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें अपीलांट के खाते संख्या 58 नया और 47 पुराना की आराजी स्थित है। जिसमें कुल किता 24 और कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा आराजी में से खसरा नम्बर 43 रकेबा 4 बीघा 2 बिस्वा आराजी को विवादग्रस्त संबोधित किया गया था। इसी आराजी पर अपीलांट को आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 5 व खसरा नम्बर 44 जो कि राजस्व भूमि चारागाह दर्ज है तथा इसी भूमि पर आम रास्ता प्रार्थी के खेत पर जाने का रास्ता था तथा सैटलमेंट द्वारा इस सरकारी भूमि खसरा नम्बर 5 व खसरा नम्बर 44 पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया तथा अपीलांट का पुश्तैनी रास्ता रेस्पोडेंट द्वारा बन्द कर दिया गया। इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 18.05.2018 को बिना अपीलांट को सुने ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है तथा अपीलांट की आराजी पर आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है तथा रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व भूमि पर कब्जा कर रखा है। उसके बावजूद भी राजस्व अधिकारी द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। पत्रावली पूर्ण बहस के रूप में थी तथा राजस्व अधिकारी द्वारा बहस न सुनकर राजस्व केम्प रिझोन में एक तरफा निर्णय पारित किया गया है, जो कि खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2018 अपास्त किया जावे।

5 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

6 हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेश दिनांक 18.05.2018 राजस्व लोक अदालत केम्प में वादी/अपीलांट ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार झालरापाटन की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 में भी वादी/अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में यह कहना कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, पूर्ण रूप से गलत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/09/23

(दीपिका रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा